कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

E-mail – ccf-durg.cg@gov.in, Phone No. 0788-2210160 & Fax- 0788-2210814

क्रमांक/तक.अधि./ 4321 दुर्ग, दिनांक 23 /06/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध/व.सं.अ.)
छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

विषय :– **वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत नेट/स्काई परियोजना के तहत् मार्ग के समानांतर भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु 4.403 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वनभूमि कुल 4.681 हे. के व्यपवर्तन की स्वीकृति बाबत् । (Reg.No. FP/CG/OFC/43123/2019)**

संदर्भ :– व.म.अ., खैरागढ़ का पत्र क्र./मा.चि./न.क्र.2–14/1021 दि. 01.06.2020.

विषयांतर्गत निवेदन है कि, भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.05.2011 द्वारा वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 13 प्रकार के 5.000 हे. तक के कार्यो के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन के सामान्य अनुमोदन का अधिकार राज्य शासन को दिया गया है। 13 प्रकार के कार्यों में इलेक्ट्रीकल एवं टेलीकम्यूनिकेशन लाईन शामिल है। इसी प्रकार भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.06.2011 द्वारा 13 प्रकार के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से छूट प्रदान की गई है।

भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के कार्य के लिये वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में छ.ग. शासन, वन विभाग के पत्र दिनांक 22.06.2018 द्वारा 21 चेकलिस्ट का निर्धारण किया गया था। आवेदक संस्थान प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वास्ते– अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक) छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीगसढ़ द्वारा खैरागढ़ वनमण्डल के विभिन्न परिक्षेत्रों के अधिन मार्ग के समानांतर विद्यमान राईट–ऑफ–वे के अंतर्गत वनभूमि तथा राजस्व वनभूमि में आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के कार्य के लिये 4.681 हे. भूमि (वनभूमि 4.403 हे. एवं राजस्व वनभूमि 0.278 हे.) के गैर वानिकी उपयोग के तहत् वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर विषयांकित ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक आबंटित किया गया था।

वनमण्डलाधिकारी, खैरागढ़ द्वारा 21 चेकलिस्ट के अनुसार प्रस्ताव आवेदक संस्थान से प्राप्त कर ऑनलाईन प्रविष्टि उपरांत समस्त औपचारिकता पूर्ण कर मय सी.डी. के प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया है, जो मूलतः 03 प्रतियों में इस कार्यालय के अनुशंसा सहित संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

23/6/2020
मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ 4322 दुर्ग, दिनांक 23 /06/2020

प्रतिलिपि :– वनमण्डलाधिकारी, खैरागढ़ वनमण्डल, खैरागढ़ की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

23/6/2020
मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)
16/6/2020

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

"नहीं"

15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

"सहमत"

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

व्यपवर्तन हेतु मांग की गई वनभूमि 4.403 एवं 0.278 ha राजस्व वनभूमि कुल 4.681 ha गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर

23/6/2020

(शालिनी रैना) भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक (क्षे.)
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

सरकारी मोहर

दिनांक :- 23/6/2020

स्थान :- दुर्ग